भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3391
जिसका उत्तर मंगलवार, 17 मार्च, 2015 को दिया जाना है

एचएमटी को अप्रयुक्त भूमि

3391. एडवोकेट जोएस जार्जः

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केरल में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) की अप्रयुक्त भूमि को वापिस लेने पर विचार कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एचएमटी, केरल से अधिग्रहित भूमि के उपयोग हेतु सरकार ने क्या योजना बनाई है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): वर्तमान में कंपनी के पास लगभग 348 एकड़ भूमि है जिसकी आवश्यकता एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड की कलमासेरी इकाई के प्रचालन के लिए है। इसके अतिरिक्त, एचएमटी लिमिटेड, धारक कंपनी के पास वर्ष 2002 के दौरान अधिग्रहित पूर्ण स्वामित्व वाली 30 एकड़ भूमि है। कनायन्नूर तालुक एवं बोर्ड, केरल सरकार का स्वायत्त निकाय, ने केरल सरकार को 251.4 एकड़ भूमि अभ्यर्पित करने के लिए एक आदेश जारी किया है क्योंकि उस भूमि का प्रयोग नहीं होता है। कंपनी ने माननीय केरल उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल पुनरीक्षा याचिका सं. 1026/2002 दायर की थी और न्यायालय ने इस आदेश को रद्द कर दिया।

(ख) और (ग): कंपनी ने वर्ष 2002 में केरल सरकार को उनकी विभिन्न परियोजनाओं के लिए 300 एकड़ भूमि अभ्यर्पित कर दी है। उपर्युक्त भूमि के अलावा, कंपनी ने सड़कों तथा आनुषंगिक इकाइयों आदि के निर्माण के लिए 33 एकड़ भूमि भी अभ्यर्पित कर दी है।

****